न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत बइजलास
श्री प्रदीप कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं :– 77/2022

फुसी पत्नी स्व. श्री पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी रणधीसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

प्रार्थीनी–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत।
2. पुरखाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

अप्रार्थीगण–

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकः–

1. श्री राजीव पाण्डे अभिभाषक प्रार्थीनी।
2. श्री रामचंद्रसिंह भाटी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2
3. पेरोकारराज, राज्य की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :–22.11.2022

संक्षेप में प्रकरण से संबधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीनी के पति पुरखाराम पुत्र रूपाराम के नाम ग्राम भुर्ज चोबदारान तहसील कोलायत जिला बीकानेर में खसरा नंबर 184/46 में 75 बीघा कृषि भूमि सन 1974 में आवंटन की गयी थी। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रार्थीनी के पति पुरखाराम के नाम से इंतकाल संख्या 130 से गैर खातेदारी दर्ज की गई है व जमाबंदी संवत 2031 से 2034 में अंकन है। संवत 2032 से 2035 में भी दर्ज है। इंतकाल संख्या 279 दिनांक 30.11.1977 के कॉलम संख्या 5 में भी प्रार्थीनी के पति पुरखाराम के नाम गैर खातेदारी दर्ज है लेकिन कॉलम संख्या 11 में पुरखाराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान अंकन कर दिया गया जिसकी शुद्धि करवाने के लिए प्रार्थीनी कानूनन मुश्तहक है एवं हकदार है। उक्त प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 23.11.2017 को स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती के आदेश दिये गये है।

निर्णय दिनांक 23.11.2017 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने न्यायालय सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील पेश की । उक्त अपील संख्या 01/2018 अनवानी पुरखाराम बनाम फुसी न्यायालय संभागीय आयुक्त ,बीकानेर द्वारा दिनांक 06.11.2019 को निरस्त की गयी है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त ,बीकानेर के निर्णय दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध पुरखाराम ने माननीय राजस्व मण्डल ,राजस्थान ,अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील दायर की। उक्त द्वितीय अपील में दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया जिससे माननीय मण्डल ने द्वितीय अपील संख्या 3513/2019 अनवानी पुरखाराम बनाम मु0 फुसी दिनांक 07.04.2022 को स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.11.2017 व न्यायालय संभागीय आयुक्त ,बीकानेर के निर्णय दिनांक 06.11.2019 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड कर निर्देश प्रदान किये है कि राजीनामा को विधिसम्मत तरीके से तस्दीक कर उभय पक्ष को सुन कर विधि सम्मत तरीके से राजीनामा को ध्यान में रखते हुवे निर्णय पारित करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभय पक्ष उपस्थित होकर प्रार्थीनी द्वारा राजीनामा पेश किया। उक्त राजीनामा में प्रार्थीनी ने कथन किया है कि प्रार्थीनी के पति पुरखाराम पुत्र रूपाराम के नाम उक्त भूमि कभी आवंटन नहीं हुई, ना ही उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी पुरखाराम का ही है। उक्त भूमि से प्रार्थीनी का कोई संबध सारोकार नहीं होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर एवं आराजी मुतनाजा अप्रार्थी पुरखाराम के नाम यथावत रखने पर प्रार्थीनी की सहमति है एवं कोई उज्र एतराज नहीं है । प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का ग्राम बुर्ज चौबदारान में खसरा नं 5 तादादी 3.90 हैक्टैयर तथा खसरा नंबर 447/6 तादादी 3.65 हैक्टैयर भूमि का आंवटन बहाल किया जाता है। तहसीलदार राजस्व कोलायत तदानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत (बीकानेर)

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी
कोलायत
उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर

1704/28-11-2022

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी
कोलायत
उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर

Scanned with OKEN Scanner